उत्तर प्रदेश
वस्त्र उद्योग नीति
2014
का प्रारूप

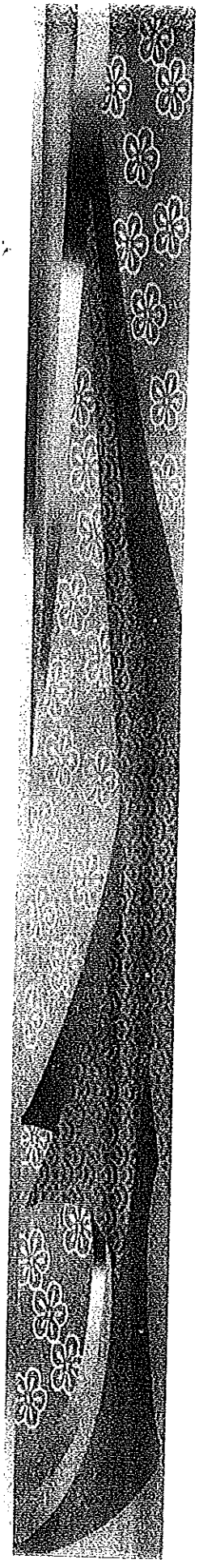

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
उत्तर प्रदेश

: : अनुक्रमणिका : :

	प्रस्तावना	1 . 2
1–	दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति।	3 . 4
2–	वस्त्र उद्योग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास	5 . 6
3–	वस्त्र उद्योग हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।	7 . 11
4–	वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन तथा दक्षता एवं क्षमता का विकास।	12

प्रस्तावना

किसी भी प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विकास का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। प्रदेश सरकार की नीतियॉ एवं योजनायें ऐसी हो जिससे प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आये तथा उनके आपसी सामन्जस्य एवं मान मर्यादा में वृद्धि हो। इसी सिद्धान्त पर प्रदेश की वस्त्रोद्योग नीति को तैयार किया गया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वस्त्रोद्योग का विशेष महत्व है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार वस्त्रोद्योग क्षेत्र एवं इससे सम्बन्धित अनुपूरक उत्पादन इकाईयों एवं विनिर्माण इकाईयों से ही प्राप्त होता है। वस्त्रोद्योग श्रमिक प्रगाढ उद्योग है और इसमें प्रदेश के विकास के असीमित अवसर है।

एक समय था जब प्रदेश अपने परंपरागत उद्योग, हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग उत्पादों के लिए देश एवं विदेश में विख्यात था परन्तु आज प्रदेश का वस्त्रोद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः प्रदेश के वस्त्रोद्योग को पुनः जीवित करने के लिए तकनीकी उन्नयन एवं नये निवेश की नितान्त आवश्यकता हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण राज्य है और साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। ऐसे बृहद राज्य का समेकित विकास, राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जबकि वर्तमान में प्रदेश में खपत होने वाले लगभग दो तिहाई वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित कच्चे माल व वस्त्र उत्पादों का अन्य प्रदेशों से आयात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में परम्परागत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है और इसी प्रयास को सफल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वस्त्रोद्योग नीति को तैयार किया गया है। इस नीति में हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग की सभी उप शाखाओं जैसे स्पिनिंग, वीविंग, डाईंग, निटिंग, रेडीमेड गारमेन्ट आदि को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने का प्राविधान किया गया है। इस नीति में प्रदेश के पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यान्चल के लिए विशेष

प्रोत्साहन के प्राविधान किये गये हैं एवं इस नीति को उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को ध्यान में रखकर एवं वस्त्रोद्योग एवं औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान मे रखकर तैयार किया गया है। इस नीति से प्रदेश के वस्त्रोद्योग में नये निवेश को गति प्राप्त होगी और लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

1 दृष्टिकोण उद्देश्य एवं रणनीति

1.1 दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश के वस्त्रोद्योग क्षेत्र में पूँजीनिवेश हेतु अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना ताकि वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके और प्रदेश के आर्थिक विकास दर में वृद्धि हो साथ ही जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

1.2 उद्देश्य

नई वस्त्रोद्योग नीति में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :–

- वस्त्रोद्योग में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना जिससे कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (पर कैपिटा इनकम) में सुधार हो एवं उसे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (पर कैपिटा इनकम) तक पहुँचाना।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 12 वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- 12 वी पंचवर्षीय योजना में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना।
- प्रदेश में वस्त्रोद्योग की खपत को प्रदेश के उत्पादों से पूरा करना एवं अन्य प्रदेशों से किये जा रहें वस्त्रोद्योग उत्पादो एवं कच्चे माल के आयात को 50 प्रतिशत तक कम करना।
- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यान्चल में प्राथमिकता पर वस्त्रोद्योग का विकास करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सुलभ कराते हुए प्रतिभा एवं क्षमता पलायन को रोकना।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं दक्षता कार्यकम चलाकर वस्त्रोद्योग के क्षेत्र के लिए योग्य कार्मिकों की सुलभता सुनिश्चित कराना।
- भारत सरकार द्वारा संचालित (टफ्स) योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश के वस्त्रोद्योग को उपलब्ध कराना ।

1.3 रणनीति

वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित स्पिनिंग, वीविंग, डाईंग, प्रोसेसिंग, गारमेन्ट उत्पादन से सम्बन्धित इकाईयों की स्थापना हेतु

- अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु औद्योगिक वातावरण में सुधार।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्योगों से सम्बन्धित इकाईयों को प्रोत्साहन।
- वस्त्रोद्योग क्षेत्र में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।
- मानवशक्ति को वस्त्रोद्योग क्षेत्र में रोजगार परक बनाने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास।
- अनुसंधान एवं गुणवत्ता सुधार।

2 वस्त्र उद्योग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

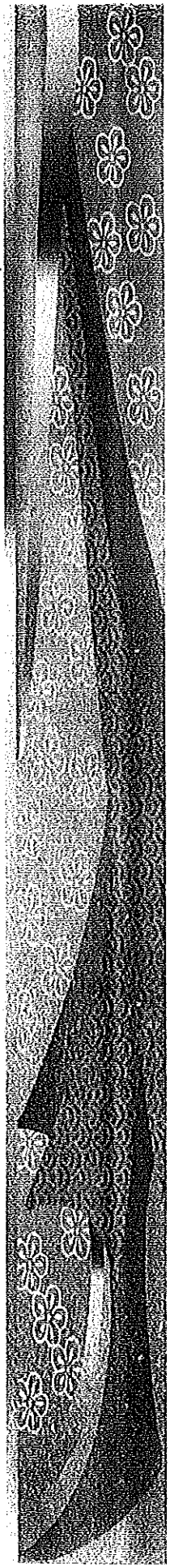

प्रदेश के वस्त्रोद्योग के विकास हेतु गुणवत्तापरक एवं उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है। उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के उपलब्ध होने के फलस्वरूप वस्त्रोद्योग को कम लागत में बिना किसी अवरोध के स्थापित एवं संचालित किया जा सकता हैं। इससे प्रदेश में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पूँजी निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन एवं सामाजिक ढाचें के विकास में विशेष लाभ होगा। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1 भूमि की उपलब्धता

प्रदेश में वस्त्रोद्योग की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य सरकार द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वस्त्रोद्योग की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

2.2 जलापूर्ति एवं जल निकासी

वस्त्रोद्योग इकाईयों कें उत्पादन में जल एक अनिवार्य घटक है। राज्य में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता है अतः वस्त्रोद्योग की मांग के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति की जायेगी एवं अपशिष्ट, जल निकासी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जायेगा। वस्त्र औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी एवं मल, अपशिष्ट–व्ययन की व्यवस्था को लागू करने के लिए औद्योगिक संगठनों अथवा उद्योगों के समूहों को इस हेतु लिये गये ऋण पर देय व्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

2.3 संकुल विकास(क्लस्टर डेवलपमेन्ट)

2.3.1 क्लस्टर विकास योजना का मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करना है ताकि अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में वस्त्र इकाईया अपनी क्षमता एवं उत्पाद गुणवता में व्यापक सुधार ला सके। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों का रोजगार सृजन, क्षेत्र विकास एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में संकुल आधारित वस्त्रोद्योग इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की योजना विशेष कर टफ्स के माध्यम से अधिकाधिक सुविधायें वस्त्रोद्योग इकाईयों को उपलब्ध करायी जायेगी।

वस्त्रोद्योग इकाईयों को प्रदेश में "स्पेशल परपज व्हीकल(एस0पी0वी0) द्वारा संकूल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि आधारभूत सुविधाओं जैसे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, कामन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (अपशिष्ट उपचार प्लान्ट, प्रदूषण शोधक संयन्त्र), परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि का विकास तीव्र गति से विशेष वस्त्र इकाईयों की आवश्यकतानुसार हो सके।

3 वस्त्र उद्योग हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट

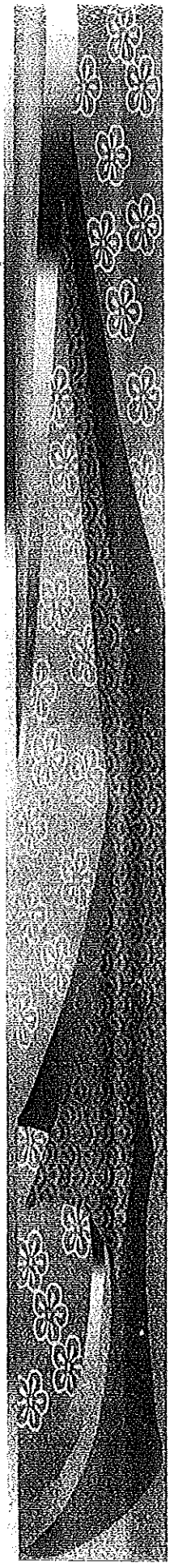

प्रदेश मे 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वस्त्रोद्योग मे निवेश को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे निवेश आकर्षित करने एवं वस्त्रोद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाते हुए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1 स्टैम्प ड्यूटी मे छूट

3.1.1 राज्य तथा केन्द्र सरकार अथवा उनकें स्वमित्वाधीन निगम,परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेण्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर सभी नई औद्योगिक इकाईयों अथवा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से निम्नलिखित प्रकार की छूट उपलब्ध कराई जाएगी:–

(क) पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड मे स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को स्टैम्प शुल्क मे 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) पूरे प्रदेश मे निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा–एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाऊस, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट,सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट, एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क मे 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(ग) उपरोक्त प्रस्तर (क) एवं (ख) मे उल्लिखित प्रकार की इकाईयों से भिन्न इकाईयों को स्टैम्प शुल्क मे 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी :–

विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसके द्वारा विस्तारीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।

3.1.2 निजी स्रोंतो से भूमि क्रय करने पर उपरोक्त प्रस्तर–1 के (क) एवं (ख) मे उल्लिखित प्रकार की इकाईयों को स्टैम्प शुल्क मे 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी परन्तु प्रस्तर–1 के (क) एवं (ख) से भिन्न इकाईयों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

3.1.3 निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान के लिए विकासकर्ता को भूमि के क्रय करने के उपरान्त 03 वर्ष की समयावधि में विकास कर लेने तथा औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान में न्यूनतम 50 प्रतिशत भूमि की बिक्री हो जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.4 पिकप, यू.पी.एफ.सी. या बैंक द्वारा विक्रीत की जाने वाली अटैच की गयी, बन्द इकाईयों के लिए सर्किल रेट के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क देय होगा।

3.1.5 यदि किसी पैरेण्ट कम्पनी द्वारा अपनी सब्सिडरी कम्पनी जिसमें पैरेण्ट कम्पनी न्यूनतम 51 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो अन्तरण पर सब्सिडरी कम्पनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी कि सब्सिडरी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाये।

3.2 वाणिज्य कर विभाग से छूट

3.2.1 कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री व पैकिंग सामग्री जिनका प्रयोग बिक्री हेतु वस्तुओं के निर्माण व पैकिंग में किया जाता है उनको अधिकाधिक अनुसूची–दो भाग–ग वस्तुओं की 4 प्रतिशत कर देयता की श्रेणी में जोड़कर इस अनुसूची को विस्तृत किया जायेगा।

3.2.2 निर्माताओं द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–5 की उप धारा(3) के अनुरूप निर्यात के अनुक्रम में (in the course of export) भारतवर्ष के बाहर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट हाउस को की गयी बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को इनपुट टैक्स के रिफण्ड/सेटऑफ की सुविधा अनुमन्य होगी।

3.2.3 प्रदेश से बाहर स्टॉक ट्रान्सफर किये जाने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट से कटौती उतनी ही केन्द्रीय बिक्री कर की दर से की जायेगी जो दर वाणिज्य कर के फार्म–सी से अन्तर्प्रान्तीय बिक्री करने पर लागू होती है।

3.3 निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार

3.3.1 पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुण्देलखण्ड मे स्थापित होने वाली समस्त नयी वस्त्र इकाईयों, जिनमे स्थायी पूँजी निवेश रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो उनको प्रथम बिक्री की तिथि से दस वर्ष तक उनके जमा किये गये वैट या केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक बिक्री धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप मे उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।

3.3.2 पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों मे स्थापित होने वाली समस्त नयी वस्त्र इकाईयॉ, जिनमे सीधे पूँजी निवेश रू0 12.50 करोड़ या उससे अधिक हो उनकी प्रथम बिक्री की तिथि से दस वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट अथवा केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य वार्षिक बिक्री धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप मे उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।

3.3.3 विस्तारीकरण करने वाली वस्त्र इकाईयों को उपरोक्त प्रस्तर 3.3.1 एवं 3.3.2 की भांति निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वैट अथवा केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण के रूप मे उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जाएगी।

3.4 ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान–

3.4.1 इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मे वर्तमान मे उपलब्ध 10 वर्ष की छूट नई वस्त्र इकाईयों हेतु एवं 15 वर्ष की छूट पायनियर वस्त्र इकाईयों हेतु जारी रखी जायेगी।

3.4.2 कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित एवं स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा।

3.5 उपादान योजनायें

3.5.1 पूँजीगत ब्याज उपादान योजना–

अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड मे स्थापित होने वाले **नए वस्त्र उद्योग यथा कताई** (स्पिनिंग) निर्माण इकाईयों को प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 1.00 करोड़ होगी। **स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 07 वर्ष के लिये प्रति यूनिट अधिकतम रू0 1.00 करोड़ होगी।**

प्रदेश के अन्य क्षेत्रों मे स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नए वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 50.00 लाख होगी।

3.5.2 अवस्थापना ब्याज उपादान योजना–

प्रदेश मे स्थापित होने वाली नई वस्त्रोद्योग इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क,सीवर, जलनिकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना

इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.5.3 **औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना--**

वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वस्त्रोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहो द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3.5.4 **ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना--**

प्रदेश मे ऐसी नई वस्त्र इकाईयों को, जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष मे जमा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की 50 प्रतिाशत की धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्ष बाद, उससे अगले तीन वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.5.5 **मेगा परियोजना :-**

वस्त्र उद्योग क्षेत्र में मेगा परियोजना का तात्पर्य रू0 75.00 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की ऐसी स्पिनिंग मिल इकाईयों से है जो अपने सम्बन्धित क्षेत्र में ऐंकर इकाई का कार्य करती हैं, वृहद स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराती है तथा अपने क्षेत्र में वस्त्र उद्योग इकाइयों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देती है। ऐंसी इकाइयों द्वारा वृहद स्तर पर पूंजी निवेश किया जाता है और इनसे प्रदेश को अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। इन इकाइयों को स्थापना हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती है जिससे इनका उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो सके तथा इनको स्थापित करने में समय की बचत हो सके।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहित किया जायेगा :-

(क) वस्त्र उद्योग इकाई के अन्तर्गत रू0 75.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली स्पिनिंग मिल इकाइयों को उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तो के

आधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस–टू–केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा,, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जायेंगी जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाइयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे–सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

(ख) रू0 125.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस–टू–केस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं है।

4 वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन तथा दक्षता एवं क्षमता का विकास

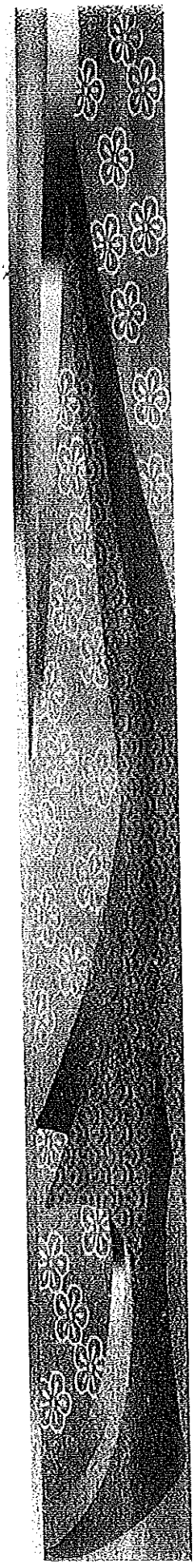

हथकरघा उद्योग एवं पावरलूम उद्योग के क्षेत्र में प्रचलित योजनाओं का और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास मे दक्षता विकास एक महत्वपूर्ण कारक है इस प्रकार प्रदेश के नागरिकों के लिए कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता मे सुधार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रदेश के कार्मिकों की शक्ति को उद्योग और बाजार की मॉग पर आधारित विशिष्ट कुशलता, रोजगार क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस कार्य को उद्योगो तथा औद्योगिक संगठनों की सहभागिता से भी किये जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग मे रोजगार के नये अवसरों के लिए न केवल अच्छे कौशल, क्षेत्र सम्बन्धी सभी स्तरों हेतु प्रतिस्पर्धी क्षमता की आवश्यकता होगी बल्कि उच्च कोटि की दक्षता की भी आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रोत्साहन के साथ–साथ वर्तमान आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों को भी ऐसे प्रशिक्षण क्षमताओं से सुसज्जित किया जायेगा जिनसे कार्मिक–शक्ति की उत्पादकता और रोजगार योग्यता को बढ़ाया जा सके। मानव संसाधनों के विकास की प्रकिया मे श्रम शक्ति की आवश्यकता का आंकलन कर उसकी योग्यता मे सुधार कर, वस्त्रोद्योग की मॉग के अनुसार पूर्ति कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए क्लस्टर के क्षेत्रों मे विशेषज्ञ संस्थायें विकसित करायी जायेगी। स्थानीय स्तर पर उद्योग, बुद्धिजीवियों तथा सरकार के सहयोग से आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार कराये जायेगें ताकि जो प्रशिक्षण दिया जाये वह व्यवहारिक एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप हो।